संख्या-889/2017/2217/22-2-2017-17(556)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर, 2017***

विषय:- जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दुर्योधन सिंह पुत्र श्री शिवकरन सिंह, निवासी जनपद- बाराबंकी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32186/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-12.07.2017, दिनांक 05.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दुर्योधन सिंह पुत्र श्री शिवकरन सिंह, जो ग्राम- मझेला, थाना-टिकैतनगर, जनपद-बाराबंकी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर घटना दिनांक 11/12-03-2008 को 03 अन्य सहअभियुक्तो के साथ मिलकर प्रताड़ना के कारण आग से बुरी तरह जलने के कारण महिला की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-662/2010 में भा0द0वि0 की धारा- 498ए, 304बी व 4 डी0पी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-36, बाराबंकी के आदेश दिनांक 12.10.2015 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.04.2017 तक 01 वर्ष 07 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष 10 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त जमानत मुचलके पर रिहा, 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति एवं स्वास्थ ठीक होने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी दुर्योधन सिंह (बन्दी संख्या-302/15) पुत्र श्री शिवकरन सिंह, निवासी जनपद-बाराबंकी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-889/2017/2217(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in